रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232727
CG-DL-E-19012022-232727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245द की उपधारा (9) और (10) तथा धारा 245ब की उपधारा (2) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "ई-अग्रिम विनिर्णय स्कीम, 2022" है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा, जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है;

(iii) "अग्रिम विनिर्णय" का वही अर्थ होगा, जो इसका अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (क) में है ;

(iv) "आवेदक" से वह निर्धारिती अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 245थ के अधीन आवेदन फाइल करता है;

(v) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो इसका अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है;

(vi) "स्वचालित आबंटन तंत्र" से संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों के उपयोग द्वारा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग शामिल है, मामलों के यदृच्छया आबंटन के लिए प्रतीक गणित, अभिप्रेत है;

(vii) "अग्रिम विनिर्णय बोर्ड" से अधिनियम की धारा 245णख के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अभिप्रेत है;

(viii) "कम्पूटर संसाधन" का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है;

(ix) "कम्पूटर तंत्र" का वही अर्थ है, जो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है;

(x) "पदाभिहित पोर्टल" से यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) द्वारा पदाभिहित वेब पोर्टल, अभिप्रेत है;

(xi) "अंकीय हस्ताक्षर" का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है;

(xii) "इलैक्ट्रानिक रीति" से किसी ई-मेल, वीडियो टेलिफोनी या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति के माध्यम से कोई संसूचना अभिप्रेत है;

(xiii) "इलैक्ट्रानिक रिकार्ड" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है;

(xiv) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज" से कम्यूटर, कम्पूटर तंत्र, कम्पूटर संसाधन या संसूचना युक्ति जिसमें टैक्स्ट, इमेज, श्रव्य, दृश्य और अन्य इलैक्ट्रानिक रिकार्ड शामिल है, पर सृजित या पारेषित या ग्रहण किए मैसेज या जानकारी जो मैसेज के साथ पारेषित की जा सके, अभिप्रेत है;

(xv) "संयुक्त सचिव, (विदेशी कर और कर अनुसंधान)" से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव, विदेशी कर और कर अनुसंधान के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xvi) "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" से किसी आवेदन के संबंध में-

(i) आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त या आयुक्त; या

(ii) आवदेन के संबंध में बोर्ड द्वारा पदाभिहित प्रधान आयकर आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है;

(xvii) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर इलैक्ट्रानिक संसूचना प्रेषिती को परिदत्त या पारेषित की गई है, अभिप्रेत है जिसमें –

(क) पदाभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती का इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखे में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ख) निर्धारिती द्वारा अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) निर्धारिती से संबंधित स्थायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) उस मामले में जहां प्रेषिती कोई व्यक्ति है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्रेषिती की आधार संख्या या ई-मेल पता रखता है ; या

(ङ) उस मामले में जहां प्रेषिती एक कंपनी है, जिसका ई-मेल पता कारपोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है ; या

(च) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रेषिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।

(xviii) "नियम" से आयकर नियम, 1962 अभिप्रेत है ;

(xix) "सचिव" से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के सचिव के रुप में नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(xx) "वीडियो कान्फ्रेसिंग" या वीडियो टेलीफोनी" से वास्तविक समय में लोगों के मध्य संचार के लिए विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ताओं द्वारा आडियो-वीडियो सिग्नल के अंगीकरण और पारेषण के लिए तकनीकी समाधान अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं ।

3. स्कीम का विस्तार.- यह स्कीम अग्रिम विनिर्णयों के आवेदनों पर लागू होगी.- (क) अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को बनाने में ;या(ख) अधिनियम की धारा 245 थ की उपधारा (4) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के अंतरण में ।

4. अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा ई-अग्रिम विनिर्णय–(1) अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार, पैरा 5 के अधीन आबंटित या अंतरित आवेदनों के ई-अग्रिम विनिर्णयों को सुनाएगा ।

(2) अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के पास ऐसे अन्य आयकर प्राधिकरण, अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के सदस्यों की सहायता करने को कार्यकारी या सलाहकार होंगे, जैसा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए ।

5. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनों का आबंटन.- यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से पैरा 3 में निर्दिष्ट, अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनों को यादृच्छिक रुप से आबंटित या अंतरित करने की प्रक्रिया करेगा ।

6. अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्रक्रिया.- पैरा 5 में निर्दिष्ट, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड को आबंटित या अंतरित आवेदनों पर अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्रक्रिया, निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:-

(क) आवेदन फाईल करने के लिए प्रक्रिया-

(i) पैरा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट, आवेदन, नियमों के नियम 44ड. के अधीन उल्लिखित प्ररुप सं. 34ग, 34घ, 34घक, 34ड., 34ड.क में आवेदक द्वारा, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के सचिव द्वारा लिखित में सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को, इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा की जाएगी, ;

(ii) यदि आवेदक भारत में अब तक निर्धारित नहीं है वह जैसा कि आवेदन के सुसंगत प्ररुप में उपबंधित किया गया है उपाबंध 1 में उपदर्शित करेगा:-

(क) किसी देश में उसका प्रधान कार्यालय

(ख) वह स्थान जहां उसका कार्यालय. और निवास अवस्थित है या भारत में अवस्थित होने की संभावना है, और

(ग) भारत में उसके प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, जो उसकी ओर से सूचना और कागजपत्र प्राप्ति को और कार्य करने को प्राधिकृत है

(iii) सचिव आवेदक को आवेदन वापस भेज सकता है यदि वह किसी रीति में की त्रुटिपूर्ण है तो त्रुटियों को हटाने के लिए ऐसे समय के भीतर वह अनुज्ञा दे सकता है । ऐसा आवेदन उस तारीख को दिया गया समझा जाएगा जब त्रुटियों को हटाने के पश्चात् इसे पुनः प्रस्तुत किया जाता है ;

(iv) आवेदक आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्रत्याहृत कर सकता है ;

ख. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.–

(i) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आबंटन या अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना देगा ;

(ii) जहां पैरा 3 के खंड (ख) में निर्दिष्ट, आवेदन को, अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकरण को आदेश के माध्यम से, तारीख पर या पहले अनुज्ञा दी गई है जिस पर ऐसा मामला अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को अंतरित किया जाता है, ऐसे आवेदन को अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ;

(iii) यथा स्थिति, आबंटन या अंतरण पर, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन से भिन्न आवेदन को, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, -

(क) जहां आवेदक भारत में कर निर्धारित है, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा; या

(ख) जहां आवेदक भारत में अब तक कर निर्धारित नहीं है, वहां संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान) को आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा,

ऐसे समय के भीतर सुसंगत अभिलेख देने की अध्यपेक्षा के साथ जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए;

(iv) उपखंड (iii) की मद (ख) में यथानिर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान) ऐसा आवेदन, यथास्थिति आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या आयकर प्रधान आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को समनुदेशित करेगा, जो खंड क के उपखंड (ii) की मद (ख) या (ग) में उल्लिखित ब्यौरे से संबद्ध है ऐसे समय के भीतर जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उससे संबंधित सुसंगत अभिलेख देने का अनुरोध करता है ;

(v)उपखंड (iii) की मद (क) या उपखंड (iv) में यथानिर्दिष्ट, अनुरोध की प्राप्ति पर,सुंसगत अभिलेखों को उस प्राधिकरण द्वारा जिसको निर्देश दिया गया है अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को दिया जाएगा;

(vi) जहा अनुरोध पहले से किए गए संव्यवहार के संबंध में है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, उस प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है आवेदन में अंतर्विष्ट तथ्यों के सत्यापन की अपेक्षा कर सकता है ;

(vii) जहां प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है, उपखंड (iii) की मद (क) या उपखंड (iv) में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत अभिलेख देने में विफल रहता है वहां अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड उक्त अभिलेखों के लिए देरी के बिना आदेश द्वारा आवेदन मंजूर या नामंजूर कर सकती है;

(viii) जहां सुसंगत अभिलेख, उपखंड (iii) की मद (क)या उपखंड (iv) में यथाविनिर्दिष्ट, उस प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है द्वारा प्रस्तुत किया गया है अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आवेदन और उक्त अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार,-

(क) आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा ; या

(ख) आवेदक को इस स्पष्टीकरण के लिए बुलाएगा कि क्यों आवेदन नामंजूर नहीं किया जा सकता है और उसे ऐसे समय के भीतर ऐसे आवेदन के समर्थन में सुसंगत सामग्री या जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए।

(ix) यदि उपखंड (vii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक को बुलाया गया है, वह अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को यह भी अनुरोध कर सकता है कि उसे सुनवाई प्रदान करे जो विडियो कांफ्रेसिंग या वीडियों टेलीफोनी के माध्यम से की जाए ।

(x) जहां आवेदक उपखंड (viii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, ऐसे समय या विस्तारित समय के भीतर,जैसा कि अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए, उक्त स्पष्टीकरण के लिए प्रतीक्षा किए बिना, अधिनियम की धारा 245 द की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन आदेश पारित किया जा सकता है

(xi) जहां आवेदक उपखंड (vii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण देता है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा , आवेदन मंजूर या नामंजूर कर सकता है, आवेदन नामंजूर किए जाने के मामले में ऐसी नामंजूरी के कारण प्रदान कर सकता है ।

(xii) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड उपखंड (vii) या उपखंड (viii) की मद (क) या उपखंड (x) या उपखंड (xi) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति, आवेदक को और यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(ग) **अग्रिम विनिर्णयों के लिए आदेश-**

(i) जहां अग्रिम विनिर्णयों के लिए आवेदन खंड ख के उपखंड (vii) या उपखंड (viii) की मद (क) या उपखंड (x) या उपखंड (xi) में यथानिर्दिष्ट आदेश द्वारा मंजूर किया गया है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आवेदक को और प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है, ऐसे समय या विस्तारित समय के भीतर जैसा कि अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी और सामग्री, जानकारी या साक्ष्य जो कार्यवाहियों के लिए सुसंगत हो प्रस्तुत करने के लिए सूचना भेज सकता है।

(ii) आवेदक या प्राधिकारी जिसे निर्देश किया गया है, आवेदन अनुज्ञात करने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को ऐसी कार्यवाहियों से सुसंगत कोई और सामग्री, सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ;

(iii) आवेदक या प्राधिकारी जिसे निर्देश किया गया है, इस निमित्त किए गए निवेदन के आधार पर, विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा विस्तारित किया जाए, खंड (i) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर देगा ;

(iv) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, खंड (iii) में यथानिर्दिष्ट उत्तर पर विचार करने के पश्चात् और आवेदक के निवेदन पर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (5) के अधीन (वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी के माध्यम से) सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक को और प्राधिकारी को देगा जिसे निर्देश किया गया है ।

7. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना- (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, स्वविवेक पर आवेदक को ऐसे अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना, जो इसे अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, अनुज्ञात कर सकेगा या उससे अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहां अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तथ्य अभिकथित किया जाता है जिसे परिसाक्षित नहीं किया जा सकता या जो अभिलेख के विपरीत है, तो इसका कथन स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में किया जाएगा तथा यह सम्यक् रूप से प्रतिज्ञाबद्ध शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा ।

8. आवेदन में अंतर्विष्ट प्रश्न – अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की छूट के सिवाय, आवेदक, आवेदन में नहीं लिखे गए किसी अतिरिक्त प्रश्न के समर्थन में जोर नहीं देगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी, किन्तु आवेदन का विनिश्चय करने में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड स्वविवेक पर लिखे गए प्रश्नों की सभी पहलूओं पर विचार करेगा जो इसके विचार के लिए रखे गए प्रश्नों के सार पर विनिर्णय की घोषणा करने के लिए आवश्यक हो ।

9. अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन – जहां अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, पैरा 3 में निर्दिष्ट (जिसके अंतर्गत उपाबंध और विवरण तथा ऐसे उपाबंध से संलग्न अन्य दस्तावेज भी हैं) अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन में अंतर्विष्ट नहीं किए गए किसी तथ्य पर विश्वास करने की ईप्सा की जाती है तो वे लिखित में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका सत्यापन उसी रीति में किया जाएगा जो ऐसी आवेदन में उपबंधित है ।

10. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की शक्तियां – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, अपनी शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां रखेगा, जो अधिनियम की धारा 131 में निर्दिष्ट हैं ।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं तथा अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 54) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(3) यदि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह स्वत: या, यथास्थिति, आवेदक अथवा आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उस कठिनाई को दूर कर सकेगा जहां तक वह अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ।

11. सचिव की शक्तियां और कृत्य – (1) सचिव के पास अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों या ई-अभिलेखों की अभिरक्षा होगी तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस स्कीम के अधीन या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पृथक आदेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की शासकीय मुहर सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी ।

(3) सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य भी होंगे, अर्थात् :-

(i) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदनों को प्राप्त करना ;

(ii) यह पता लगाने के लिए कि आवेदन अधिनियम, नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप हैं, उनकी संवीक्षा करना ;

(iii) ऐसे आवेदनों में त्रुटियों को पक्षकारों का बताना तथा उन्हें अपेक्षित समय प्रदान करके त्रुटियां दूर करने की अपेक्षा करना, जहां दिए गए समय के भीतर त्रुटियां दूर नहीं की जाती तो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से आवश्यक आदेश प्राप्त करना ;

(iv) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के सदस्यों के परामर्श से आवेदनों के लिए सुनवाई की तारीख नियत करना तथा उसके लिए नोटिस जारी करना निदेशित करना ;

(v) नोटिसों और अन्य प्रक्रियाओं की तामील जारी करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पक्षकारों तक उचित ढंग से तामील हो ;

(vi) किसी व्यक्ति की अभिरक्षा से, जिसके अंतर्गत आयकर आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकारी है, अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना ;

(vii) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना ;

(viii) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों का कोई औपचारिक संशोधन निदेशित करना ;

(ix) पक्षकारों को अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रदान करना ;

(x) नियमों के अनुसार पक्षकारों को कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना ;

(xi) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना तथा हेतुक शीर्ष में समुचित संशोधन करना जो अन्य स्थितियों में आवश्यक हों ; और

(xii) कोई अन्य कृत्य करना जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा समनुदेशित किए जाए ।

12. फाइल किए जाने वाला प्राधिकरण – सुनवाई में आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि, सुनवाई प्रारंभ होने के पूर्व आवेदक के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण करने वाला एक दस्तावेज फाइल करेगा और यदि वह आवेदक का नातेदार है तो दस्तावेज में उसकी आवेदक के साथ नातेदारी की प्रकृति, या यदि वह आवेदक का नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है तो उसकी हैसियत जिसमें उसे उस समय नियोजित किया गया है, का कथन किया जाएगा ।

13. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा –

(क) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके ;

(ख) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके यदि उसे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षराधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, और किसी मामले में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित करके।

14. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कोई व्यक्तिगत उपस्थिति न होना – (1) आवेदक को अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष या सचिव, अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पास नियुक्त कार्यपालक या परामर्शदाता के समक्ष इस स्कीम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर भी है जो ऐसी अवस्थानों पर जो आवश्यक हों, वीडियो टेलिफोनी का समर्थन करता हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के फायदों से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि ऐसे आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच वीडियो कान्फ्रेंसिंग तक नहीं है।

15. भूल सुधार – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, अभिलेख से प्रकट किसी भूल के सुधार के दृष्टिकोण से निर्धारण अधिकारी द्वारा अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा घोषित किए गए विनिर्णय के प्रभावी किए जाने के पूर्व इसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

(2) ऐसा संशोधन स्वप्रेरणा से या जब भूल, यथास्थिति आवेदक या आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा जानकारी में लाई जाती है, किन्तु, यथास्थिति आवेदक या आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर अनुज्ञात करने के पश्चात्, किया जा सकेगा।

16. अपील कार्यवाहियां – (1) इस स्कीम के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पारित अग्रिम विनिर्णय आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी।

(2) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेशों पर, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा।

17. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला न होना - अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी और (आवेदक, उसके कर्मचारी, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के संबंधित अधिकारियों या आयकर प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधियों से भिन्न) कोई भी व्यक्ति, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की अनुज्ञा के बिना, वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी पर भी ऐसी कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा।

18. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के निमित्त संसूचना – (1) वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी के माध्यम से सुनवाई का अवसर अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा सुकर बनाया जाएगा, जो अग्रिम रूप से आवेदक और संबंधित पक्षकारों को लिंक तथा पासवर्ड प्रदान करेगा।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की आंतरिक और बाह्य सभी संसूचनाएं अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

19. संसूचना अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा ;

(ख) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और, यथास्थिति, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा :

परन्तु अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रानिक ढंग से भिन्न किसी अन्य ढंग से प्राप्त आवेदन, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक इलैक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित किया जाएगा ;

(ग) इस स्कीम के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना पाने वाले को, जो आवेदक है, आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल भेज कर परिदान किया जाएगा ;

(घ) आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को फाइल करेगा ;

(ङ) यथास्थिति, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपनी शासकीय ई-मेल सुविधा के माध्यम से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को फाइल करेगा ।

20. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की भाषा – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की भाषा, आवेदक के विकल्प पर, हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

(2) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ फाइल किया जाना चाहिए ।

(3) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पारित विनिर्णय और अन्य आदेश, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के विवेकानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में होंगे ।

21. आदेशों का प्रकाशन - अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, यदि अपने आदेश को प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशित करवाना ठीक समझे तो, उसे ऐसी शर्तों के साथ जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशन के लिए भेजा जा सकेगा ।

22. अधिनियम के अध्याय 29-ख के उपबंधों का लागू होना – ऊपर अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अध्याय 29-ख के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे ।

23. प्ररूप, ढंग, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करने की शक्ति – आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), जब कभी अपेक्षित हो, यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के परामर्श से, बोर्ड के अनुमोदन से, इस स्कीम के अधीन ई- अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों के संचालन हेतु प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक, प्रक्रियाएं और आदेशिकाएं अधिकथित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्ररूप, ढंग, प्रक्रिया और आदेशिका भी हैं, अर्थात् :-

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील ;

(ii) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से किसी जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति ;

(iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना ;

(iv) "ई- अग्रिम विनिर्णय" सुविधा का उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगइन खाता सुविधा, ई- अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों की प्रास्थिति का पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड करने की सुविधा भी है ;

(v) जानकारी और उत्तर तक पहुंच, उसका सत्यापन और अधिप्रमाणन, जिसके अंतर्गत ई-अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं ;

(vi) केन्द्रीकृत रीति में जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुन: प्राप्ति ; और

(vii) संबंधित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र ।

[अधिसूचना सं. 07/2022/ फा.सं. 370142/62/2021-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान